2012/00275

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2012 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्रीमती मनोरमा गुप्ता प्रवर्तन अधिकारी उपखण्ड आमेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरूराम यादव पुत्र श्री राम दयाल यादव निवासी लालगढ उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जालसू–I तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. श्री लक्ष्मीचन्द बुनकर पुत्र श्री प्रभात बुनकर निवासी ग्राम मुकन्दपुरा, उचित मूल्य दुकानदार जालसू–II, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले 7240 लीटर नीला करोसीन को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के॰ डी॰ शर्मा एव सी एस मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) क्रम–1 जयपुर जिला जयपुर ने आदेश दिनांक 14.10.2011 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2004 को अपास्त करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेश पारित किये जाने से पूर्व स्वयं के स्तर पर जांच और संतुष्टि करने के साथ साथ अपीलार्थीगण को भी अपने अभिवाक के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दोनों पक्षों के साक्ष्य पर विचार कर युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश नये सिरे से पारित करने के आदेश दिये है।
2. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कम–1 जयपुर जिला जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के॰डी॰शर्मा एवं श्री सी॰ एस॰ मिश्रा ने उपस्थित है । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के दिनांक 26.05.2001 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया । यहां दुकाने श्री रतनलाल नाई जालसू के मकानात में संचालित की जा रही थी। उक्त परिसर की तलासी लेने पर कुल 34 ड्रमों में 7240 लीटर नीले रग का केरोसीन तेल दोनों दुकानों का शामिल रूप से रखा पाया गया । दौराने जांच मौके पर दो अप्रमाणित बिक्री रजिस्टर जो विधिवत रूप से भरे हुये नहीं थे, पाये गये। मौके पर दोनों डीलरो में से कोई नहीं मिला । उचित मूल्य दुकान जालसू–1, श्री भैरूराम यादव को प्राधिकार पत्र संख्या 115/1992 जारी किया हुआ है। जिसमें

कारोबार स्थल जगदीश प्रसाद शर्मा की दुकान दर्ज है। श्री लक्ष्मीचन्द बुनकर उचित मूल्य दुकान जालसू–11 को प्राधिकार पत्र संख्या 175/96 जारी किया हुआ है। जिसमें कारोबार स्थल प्रभूदयाल ज्योतिषि का मकान दर्ज है। इस प्रकार दानों उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा अपने प्राधिकार पत्र मे दर्ज कारोबार स्थल से भिन्न जगह पर कारोबार करते हुये पाये गये है। मौके पर विधिवत रिकार्ड भी नही. पाया गया । इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवयश्क पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 5 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने के कारण मौके पर पाया गया 7240 लीटर नीले रंग का करोसीन तेल मय 34 ड्रम के जब्त सरकार किये गये। अतः जब्त शुदा केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को काखण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थीगण अपने अपने व्यवसाय स्थल पर ही कारोबार करते थे. परन्तु मकान मालिकों द्वारा अपनी अपनी दुकान खाली करवाने की जिद से व लडाई झगडे से बचने के लिए रतन लाल नाई की दुकान किराये पर ले कर केरोसीन का भण्डारण व विक्रय किया जा रहा था। यू पी सी से इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी जयपुर व तहसीलदार आमेर को भेज दी थी। अप्रार्थीगण ने पंचायत के सरपंच एवं सतर्कता समिति के सदस्यों को भी मौका मुआयना करा दिया और उनकी सहमति से ही उक्त स्थाल पर तेल का भण्डार किया था। इसमें अपीलार्थीगण का किसी प्रकार की कालाबाजारी का अथवा आपराधिक आशय नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त सी आर एल आर (राज) 2004(2) पेज 1221 नानालाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि – " जब प्रार्थी ने माल को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के संबंध में जिला रसद अधिकारी को सूचित कर दिया गया था तो अधिहरण का आदेश अवैध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।" न्यायिक दृष्टान्त 2001(2)आर सी सी पेज 1124 मुकेश बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि – " भवन मालिक के साथ विवाद होने तथा उसके द्वारा दुकान पर ताला लगाये जाने के कारण दुकान पर चीनी नहीं रखने का आरोप लगाया गया किन्तु किसी भी उपभोक्ता ने चीनी वितरण नही करने की शिकायत नही की, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त की गई। ए आई आर 1994 एसी पेज –2663 एन नागेन्द्र राय एण्ड कम्पनी बनाम आन्द्र प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि –" आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत हरेक आदेश का उल्लंघन कलक्टर को अधिहरण की अधिकारिता प्रदान नही करता है, वरन कलक्टर को प्रत्येक मामले में युक्ति युक्त व उचितता का परीक्षण करना चाहिये एवं इसके पश्चात ही अधिहरण का आदेश पारित किया जाना चाहिये । इस प्रकार न्यायिक दृष्टान्त ई एफ आर 1980 पेज 237 मैसर्स सतीश एण्ड कम्पनी बनाम केरला राज्य के मामले में अवधारित किया गया है कि–कलक्टर को अधिहरण का आदेश पारित करने से पूर्व अपने मस्तिक का उपयोग किया जाना चाहिये तथा मात्र आदेश का उल्लंघन होने के कारण से ही अधिकरण का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये।" अप्रार्थीगण ने अपनी दुकान पर नाम पता व मूल्य सूची भी नियमानुसार प्रदर्शित की है कोई अनियमितता नही की। अप्रार्थीगण की किसी प्रकार की दुर्भावना नही रही है आरोप भ्रमवश व तकनीकि आधारों पर लगाये गये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्त करोसीन तेल या उसकी विक्रीत कीमत अप्रार्थीगण को दिलाने का आदेश फरमावें ।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अप्रार्थीगण पर निर्धारित कारोबार स्थल से भिन्न स्थल पर केरोसीन तेल का भण्डार किया जा कर कारोबार संचालित किये जाने की अनियमितता पाई गई है जिसका मुख्य कारण दुकान मालिकों द्वारा दुकान खाली कराने की जिद व खाली नही करने पर लडाई झगडे की आशंका रही है। कारोबार स्थल के परिवर्तन बाबत अप्रार्थीगण ने तत्समय ही जिला रसद अधिकारी एवं तहसीलदार आमेर को यूपीसी द्वारा सूचित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता को केरोसीन नही मिलने की कोई शिकायत नही पाई गई। व्यवसाय स्थल से भिन्न स्थल पर पर संबंधित अधिकारी को सूचित किये जाने के पश्चात कारोबार किये जाने को अनियमियतता नहीं माना जा सकता । अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। रिकार्ड के अनुसार केरोसीन की मात्रा स्टॉक में सही पाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण की इसमें किसी प्रकार की कालाबाजारी की बदनियति नहीं पाई गई है। प्रकरण मे मेन्सरिया भी नहीं पाया गया है। इसलिए जब्त माल या उससे विक्रीत राशि अप्रार्थीगण को लौटाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा 7240 लीटर नीला केरोसीन या उससे विक्रीत राशि अप्राथीगण को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर